



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

छोटा प्रीमियम बड़ा बीमा



प्रधान मंत्री

मेरे प्यारे किसान भाइयो और बहनो,

'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के समाचार आप तक पहुंच गए होंगे। हमारे देश में किसान हमेशा असुरक्षित महसूस करता है, कभी प्राकृतिक आपदा तो कभी बाजार में गिरती कीमतों की वजह से। पिछले 18 महीनों में मेरी सरकार ने इन सकटों में मदद पहुंचाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

किसानों के लिए बीमा योजनाएं पहले भी थीं। लेकिन ये कई कारणों से सफल नहीं हुईं – कभी प्रीमियम दर बहुत ज्यादा, कभी नुकसान की दावा राशि बहुत कम, तो कभी स्थानीय नुकसान शामिल नहीं। परिणामस्वरूप मुश्किल से 20 प्रतिशत किसान ही उनसे जुड़ते थे, और अपना हक पाने के लिए भी उनको अनेक प्रकार की परेशानियाँ उठानी पड़ती थीं। अंततः बीमा योजनाओं के प्रति किसानों का भरोसा कम हो गया था।

ऐसे में हमने राज्यों से, किसानों से, बीमा कंपनियों से गहन विचार-विमर्श किया और अब मेरे अपने प्यारे किसान भाई—बहनों के चरणों में किसानों को व्यापक लाभ पहुंचाने वाली 'प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना' सादर समर्पित कर रहा हूँ।

इस प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की विशेषताएं ये हैं:

- फसल बीमा में यह सरकार की अब तक की सबसे बड़ी मदद है।**
- फलस्वरूप किसानों के लिए यह अब तक की सबसे कम प्रीमियम दर होगी।**
- शेष भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा – 90% से ज्यादा होने पर भी।**
- खाड़ान्न, दलहन, तिलहन फसलों के लिए एक मौसम, एक दर होगी – जिलेवार और फसलवार अलग–अलग दर से अब मुक्ति मिलेगी – खरीफ : सिर्फ 2% – रबी : सिर्फ 1.5%।**
- पूरा संरक्षण मिलेगा – बीमा पर कोई कैपिंग नहीं होगी और इसके कारण दावा राशि में कमी या कटौती भी नहीं होगी।**
- पहली बार जल भराव को स्थानीय जोखिम में शामिल किया गया है।**
- पहली बार देश भर में फसल कटाई के बाद चक्रवात एवं बैमौसम बारिश का जोखिम भी शामिल किया गया है।**
- पहली बार सही आकलन और शीघ्र भुगतान के लिए मोबाइल और सैटेलाइट टेक्नालॉजी के व्यापक उपयोग पर जोर दिया गया है।**

आने वाली खरीफ फसल से यह योजना लागू हो जायेगी। इस योजना से जुड़ना सरल है और सुरक्षा अधिकतम है। मैं आपसे इसमें शामिल होने का आह्वान करता हूँ।

आपका

नरेन्द्र मोदी

नरेन्द्र मोदी

प्रश्न : फसल बीमा क्या है ?

उत्तर : फसल बीमा किसानों की फसलों से जुड़े जोखिम की वजह से हो सकने वाले नुकसान से रक्षा करने का माध्यम है। इससे किसानों को अचानक आए जोखिम या खराब मौसम से फसल को हुए नुकसान की भरपाई की जाती है।

प्रश्न: इस समय कौन सी फसल बीमा योजनाएं चल रही हैं ?

उत्तर : इस समय राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनआईएस), मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) एवं नारियल पाम बीमा योजना (सीपीआईएस) चल रही हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित कृषि बीमा योजना को रबी 2015–16 के बाद बंद कर बिसानों को अधिक सुरक्षा देने के लिए अब खरीफ 2016 से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की जा रही है।

प्रश्न : पहले की योजनाओं – एनएआईएस और एमएनएआईएस को रबी-2015–16 के बाद क्यों बंद किया जा रहा है ?

उत्तर : इन योजनाओं में कुछ ऐसे प्रावधान थे, जिनसे किसानों को अधिक प्रीमियम देने के बावजूद नुकसान का सही मुआवजा नहीं मिल पा रहा था। बीमित प्रीमियम ज्यादा होने पर तो प्रीमियम पर कोपिंग के कारण बीमा की मूल राशि घटा दी जाती थी, इसके अलावा ज्यादा जोखिम वाले जिलों में ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता था, नजदीकी जिलों में प्रीमियम की दर अलग होती थी एवं किसानों के दावों के भुगतान में काफी देर होती थी। ये योजनाएं किसान के लिए ज्यादा मददगार और फायदेमंद नहीं थीं। इस कारण रबी-2015–16 के बाद इन्हें बंद किया जा रहा है।

प्रश्न : नई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) में किसानों को ज्यादा से ज्यादा कितना प्रीमियम देना होगा ?

उत्तर : इस योजना में किसानों को पुरानी सभी योजनाओं की तुलना में सबसे कम प्रीमियम राशि देनी होगी। किसानों को प्रीमियम की रकम का बोझ अब महसूस नहीं होगा। इस बोझ की वजह से पहले बहुत से किसान बीमा नहीं करते थे और उन्हें नुकसान होने पर कोई भरपाई नहीं मिल पाती थी। नई योजना में अब सभी फसलों के लिए खरीफ में ज्यादा 2 से ज्यादा 2 फीसदी और रबी में ज्यादा 1.5 फीसदी बीमा दर रखी गयी है। इसके अलावा सालाना बागवानी / व्यावसायिक फसल के लिए

प्रीमियम की दर ज्यादा से ज्यादा 5 फीसदी की गई है। ये दरें पहले से काफी कम हैं।

प्रश्न : क्या पहले की योजनाओं की तरह इस नई योजना में भी किसानों को कैपिंग की समस्या का सामना करना पड़ेगा ?

उत्तर : नहीं, पहले की योजनाओं में अधिक प्रीमियम होने पर बीमित राशि की सीमा तय करने से नुकसान होने पर भरपाई की रकम भी कम हो जाया करती थी, इसलिए नई योजना में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। अब किसानों को बीमित राशि की पूरी रकम के अनुसार पूरा हर्जाना मिल सकेगा।

प्रश्न : इस योजना के तहत कौन—कौन से जोखिम कवर किए गए हैं ?

उत्तर : इस योजना के तहत निम्नलिखित जोखिम कवर किए गए हैं

1) उपज नुकसान के आधार पर—इस योजना में आग लगने के अलावा बिजली गिरने, तूफान, ओला पड़ने, चक्रवात, अंधड़, बवंडर, बाढ़, जलभराव, जमीन धंसने, सूखा, खराब मौसम, कीट एवं फसल को होने वाली बीमारियां आदि जोखिम से फसल को होने वाले नुकसान को शामिल करके एक ऐसा बीमा कवर दिया जायेगा जिसमें इनसे होने वाले सारे नुकसान से सुरक्षा प्रदान की जाएगी।

2) संरक्षित बुआई के आधार पर — अगर बीमित किसान बुआई/रोपाई के लिए खर्च करने के बावजूद खराब मौसम की वजह से बुआई/रोपाई नहीं कर सकते तो वे बीमित राशि के 25 प्रतिशत तक नुकसान का दावा ले सकेंगे।

3) फसल कटाई के बाद रखी फसल को चक्रवात, बेमौसम बारिश और स्थानीय आपदा जैसे ओलों, जमीन धंसने और जल भराव से होने वाले नुकसान का अंदाजा प्रभावी खेत के आधार पर किया जायेगा और इसके अनुसार किसानों के नुकसान का आकलन करके दावे तय किये जाएंगे।

प्रश्न : इस योजना के तहत कौन—कौन से राज्य भागीदार हैं ?

उत्तर : यह योजना सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक है। अतः इस योजना में सभी राज्य और संघ शासित क्षेत्र शामिल हो सकते हैं।

प्रश्न: इस योजना के तहत कौन—कौन से किसान किन—किन फसलों का बीमा करा सकते हैं ?

उत्तर: राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा तय किए गए इलाके में तय की गई

फसल जो कि अनाज, खाद्यान, तिलहन, सालाना व्यावसायिक और बागवानी फसल हो सकती है, उगाने वाले किसान बीमा करा सकते हैं। नई बीमा योजना तय किए गए क्षेत्र में केसीसी खाता धारक किसानों (जिन्हें ऋणी किसान कहा जाता है) के लिए अनिवार्य है तथा अन्य सभी किसान अगर चाहें तो बीमा का लाभ ले सकते हैं।

प्रश्न : इस योजना के तहत किसान बीमा कैसे ले सकता है ?

उत्तर : इस योजना के तहत बैंक, केसीसी खाता (जिन्हें ऋणी किसान कहा जाता है) धारक किसानों के लिए जरूरी प्रीमियम, बीमा कम्पनियों के पास अपने आप भेज देते हैं और उन किसानों का बीमा हो जाता है। अन्य सभी किसान निकटतम बैंक या तय की गई बीमा कंपनी के स्थानीय एजेंट को प्रीमियम का भुगतान करके फसल बीमा करा सकते हैं।

प्रश्न: क्या नई फसल बीमा योजना में खेतवार नुकसान का आकलन करने का नियम है?

उत्तर : नई बीमा योजना में यह नियम बनाया गया है कि स्थानीय आपदाओं जैसे ओला पड़ने, जमीन धंसने और जलभराव से नुकसान होने पर योजना में खेतवार नुकसान का आकलन किया जाएगा। ठीक उसी तरह फसल कटाई के बाद खेत में पड़ी हुई फसल को 14 दिन के भीतर चक्रवात और बेमौसम बरसात से नुकसान होने पर भी खेतवार आकलन करके भुगतान करने का नियम बनाया गया है।

प्रश्न : क्या इस योजना में खराब मौसम के कारण बुआई / रोपाई न कर पाने पर नुकसान का मुआवजा देने का प्रावधान है ?

उत्तर : हाँ, बीमा की गई फसल की खराब मौसम के कारण बुआई / रोपाई न कर पाने पर, बीमा मूल्य राशि का 25 फीसदी तक सीधे किसान के खाते में जमा करने का प्रावधान इस योजना में किया गया है।

बीमा के लिए अपने निकटतम बैंक शाखा, कृषि सहकारिता समिति, बीमा कम्पनी या उनके एजेंट से सम्पर्क करें।

अधिक जानकारी हेतु : <http://www.agri-insurance.gov.in> देखें

प्रश्न : क्या फसल बीमा में नुकसान के दावों के भुगतान को जल्द से जल्द करने के लिए कोई उपाय किए गये हैं ?

उत्तर : नयी योजना में स्मार्टफोन से फसल कटाई आकलन की तस्वीरें खींचकर सर्वर पर अपलोड की जायेंगी जिससे फसल कटाई के आंकड़े जल्द से जल्द बीमा कंपनी को मिल सकेंगे। इससे दावों का भुगतान करने में लगने वाले समय को काफी कम किया जायेगा। रिमोट सेंसिंग और ड्रोन जैसी तकनीक के इस्तेमाल से फसल कटाई प्रयोग की संख्या को कम करने में और नुकसान के आकलन में सहायता मिलेगी।

प्रश्न : इस योजना के तहत बीमा इकाई क्या है ?

उत्तर : यह योजना क्षेत्रीय दृष्टिकोण आधार पर अमल में लाई जायेगी। मुख्य फसलों के लिए बीमा इकाई ग्राम/ग्राम पंचायत स्तर पर होगी और अन्य फसलों के लिए बीमा इकाई राज्य सरकार द्वारा तय की जायेगी और यह ग्राम/ग्राम पंचायत से बड़े आकार की भी हो सकती है।

प्रश्न : इस योजना के तहत किसानों के लिए बीमित राशि क्या होगी ?

उत्तर : इस योजना के तहत बीमित राशि जिला स्तर तकनीकी समिति (डीएलटीसी) द्वारा उस फसल के लिए तय वित्त पैमाने के बराबर होगी।

प्रश्न : पूर्व की मौसम आधारित फसल बीमा योजना में क्या संशोधन किया गया है ?

उत्तर : मौसम आधारित फसल बीमा योजना को संशोधित करके प्रशासनिक मानक और परिचालन के प्रावधान अब पीएमएफबीवाई के समान कर दिए गए हैं जैसे इस योजना के तहत अब किसानों के हिस्से की प्रीमियम दर को सभी फसलों के लिए खरीफ में ज्यादा से ज्यादा 2 प्रतिशत तथा रबी में ज्यादा से ज्यादा 1.5 प्रतिशत किया गया है और वार्षिक बागवानी—वाणिज्यिक फसल के लिए किसान की प्रीमियम दर को ज्यादा से ज्यादा 5 प्रतिशत कर दिया गया है तथा बीमित राशि पर कैपिंग का प्रावधान भी हटा दिया गया है ताकि किसानों को पूर्ण बीमित राशि की क्षतिपूर्ति मिल सके।



**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार**

सक्षम किसान, समृद्ध भारत

किसान सुरक्षा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

फसल बीमा के लिए सरकार की ओर से अब तक की सबसे बड़ी सहायता

किसानों के लिए सबसे कम बीमा की दर – एक फसल—एक दर (खरीफ़: 2 प्रतिशत, रबी : 1.5 प्रतिशत, व्यावसायिक और बागवानी फसलें : 5 प्रतिशत)

पूर्ण सुरक्षा – दावे की राशि में कोई कमी या उच्चतम सीमा नहीं।

गन्ने के किसानों के लिए प्रभावी नीतिगत फैसले – बकाया राशि 21,000 करोड़ से घटाकर 2,500 करोड़ रुपये, निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी, एथेनॉल ब्लॉडिंग में 250 प्रतिशत की वृद्धि।

प्राकृतिक आपदा राहत मानदंड : मुआवजा डेढ़ गुना बढ़ा, पात्रता 50 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत की गई, सरकारी खरीद में मानकों में ढील, ऋण के भुगतान और समयसीमा में परिवर्तन, डीजल में सब्सिडी के साथ बीजों के लिए सब्सिडी में 50 प्रतिशत की वृद्धि

ऋण पहुंच को आसान बनाने के लिए कृषि ऋण सीमा बढ़ाकर 8.5 लाख करोड़ रुपये की गई।

विश्व व्यापार संगठन में किसानों की दीर्घकालीन हितों की सुरक्षा।

किसान शक्ति

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – सिंचाई परियोजनाओं और जलागम विकास (हर खेत को पानी), बूंद–बूंद और छिड़काव (प्रति बूंद–अधिक फसल) सिंचाई परियोजना को लक्ष्य अनुरूप पूरा करना।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना – कृषि और गांवों को बिजली सप्लाई के लिए अलग फीडर बनाना।

तीन करोड़ प्रभावी पंप सेटों के वितरण की योजना : सिंचाई सुविधाओं में सुधार और कृषि आय में बढ़ोतरी।

मृदा स्वास्थ कार्ड – स्वस्थ धरा–खेत हरा, 79 लाख मृदा स्वास्थ कार्डों का वितरण, मार्च, 2017 तक सभी को वितरण करने का लक्ष्य।

यूरिया पर नीम की परत – उर्वरक की क्षमता में बढ़ोतरी और अन्य प्रयोगों को रोकना।
नई उर्वरक नीति – उर्वरकों की कमी न होने देने और पूर्ण उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक उत्पादन में बढ़ोतरी।

राज्यों के साथ संयुक्त राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित करना – ई प्लेटफार्म की स्थापना करना।

किसान टीवी – किसानों को मौसम, किसान मंडी और अन्य आंकड़ों में मदद के लिए सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे का चैनल

किसान उन्नति

परपरागत कृषि विकास योजना – पहली बार जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए योजना

नीली क्रांति – मछली पालन में विकास दर 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 7.25 प्रतिशत हुई

श्वेत क्रांति – दूध का उत्पादन 146

मिलियन टन से बढ़कर 160 मिलियन

टन हुआ

राष्ट्रीय गोकुल मिशन – स्वदेशी

प्रजाति को संरक्षित और विकसित करने

के लिए पिछले 18 माह में 550 करोड़

रुपये की योजनाओं का क्रियान्वयन।



